

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व
इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 71/2019

वादी :- भजाराम पुत्र श्री मगाराम जाति मेघवाल निवासी मवडी तहसील सिवाना जिला
बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रकवाराम पुत्र श्री नरसाराम जाति मेघवंशी निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. चेनाराम पुत्र मेरामाराम जाति मेघवंशी निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर दावा बाबत बंटवाडा रेकर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : -16.08.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी श्री ललित जांगीड अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी मिनजानिव मुद्दई पेश होकर हुकम दिया व डिगरी दी जाती है कि भूमिधारक तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्व ग्राम महिलावास पटवार मण्डल महिलावास के खसरा संख्या 1868/607 रकबा 0.5989 हैक्टर भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री पारित की जाती है :

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
1	भजाराम पुत्र श्री मगाराम जाति मेघवाल सा.मवडी	1868/607	0.2887	रेतली	0.11	गुलाबी
	योग	1	0.2887	रेतली	0.11	गुलाबी
2	चेनाराम पुत्र मेरामाराम हि. 1/38 रकवाराम पुत्र मेरामाराम हि. 37/38 जाति मेघवंशी सा. मवडी	1868/607	0.3102	रेतली	0.11	हरा
	योग	1	0.3102	रेतली	0.11	हरा

भूमि धारक तहसीलदार सिवाना को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमलदरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.08.2021 को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
सिवाना

दिनांक : -19.08.21

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
सिवाना

क्रमांक: वाचक/2021/6984
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना।

